\

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 53 / 2022

वादी	प्रतिवादी
बनाम	
1. पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला–पाली।	1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री नरपतसिंह भायल अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 23/08/2023

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगडी तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 620 पुराना खाता संख्या 604 की स्थित है, जिसके खसरा नंबर 3112 रकबा 1.2400 है0 है, जो सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। जिसमें मुझ वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र रामा कौम दारोगा दर्ज है। मुझ वादी की अन्य खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 471 पुराना खाता संख्या 462 के खसरा नंबर 3308 रकबा 0.4900 हैक्टर है। जिसमें मुझ वादी का नाम परबतसिंह पुत्र रमा कौम दारोगा के नाम से दर्ज है। मेरा वास्तविक नाम पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत है। आधार कार्ड, पहिचान पत्र, पेन कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक खाता इत्यादि दस्तावेजात में मेरा नाम पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज है, जो सही है। वादी को अपने घर परिवार में लाड प्यार से भुण्डाराम के नाम से पुकारते है। इसलिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करते समय वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र रामा कौम दारोगा दर्ज कर दिया गया। मेरा वास्तविक पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह रावणा राजपूत है। मेरे परिवार में भुण्डाराम पुत्र रामा कौम दारोगा का मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम बगड़ी नगर चक द्वितीय में मुझ वादी की अन्य कृषि भूमि खसरा नंबर 3103 रकबा 0.6700 हैक्टर में मुझ वादी का नाम पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज है, जो सही हैं। हाल ही में मुझ वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त करने पर मुझ वादी को

बहस अधिक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 620 के खसरा संख्या 3112 रकबा 1.2400 है0, वर्तमान खाता संख्या 471 के खसरा संख्या 3308 रकबा 0.4900 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र रामा कौम दारोगा एवं परबतसिंह पुत्र रामा कौम दारोगा के पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार दर्ज किया जाने तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की । जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपति नही होना जाहिर किया।

अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड सं0 307207951675, एस0बी0आई0 बैंक डायरी, 10वीं अंकतालिका, पानी बिल की ई–मित्र से रिसीप्ट, ई–श्रम कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन डायरी, जन आधार कार्ड, सहकारी किसान कार्ड, आवासी भूमि का पट्टा, विद्युत बिल, प्रमाणित प्रति वर्तमान जमाबंदी ख0 नं0 3112, 3308, 3103, आदि दस्तावेजात पेश किये, सा0मि0 है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड सं0 3072 0795 1675, एस0 बी0 आई0 बैंक डायरी, 10वीं अंकतालिका, पानी बिल ई–मित्र रिसीप्ट, ई–श्रम कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन डायरी, जन आधार कार्ड, सहकारी किसान कार्ड, आवासी भूमि का पट्टा, विद्युत बिल, प्रमाणित प्रति वर्तमान जमाबंदी ख0 नं0 3112, 3308, 3103 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह दर्ज है। अन्य राजस्व रेकर्ड यथा जमबान्दी ग्राम बगडी चक द्वितीय खसरा नम्बर 3308 में भी परबत सिंह पुत्र रामसिंह दर्ज सुदा है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी वादी का सही नाम परबतसिंह होना अंकित किया है। लिहाजा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात से संपुष्टि हो जाने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तथा उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि ग्राम बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 620 के खसरा संख्या 3112 रकबा 1.2400 है0, वर्तमान खाता संख्या 471 के खसरा संख्या 3308 रकबा 0.4900 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार भुण्डाराम पुत्र रामा कौम दारोगा एवं परबतसिंह पुत्र रामा कौम दारोगा दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज किया जाने तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 620 के खसरा संख्या 3112 रकबा 1.2400 है0, वर्तमान खाता संख्या 471 के खसरा संख्या 3308 रकबा 0.4900 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र रामा कौम दारोगा एवं परबतसिंह पुत्र रामा कौम दारोगा के पर्वतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 23/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली